

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (शि0)-लातेहार/ PDS-17/2022 -873
प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 18.11.2022

विषय:- लातेहार जिले के मनिका प्रखण्ड अन्तर्गत राकिकला पंचायत के लंका गांव के विशिष्ट जनजाति परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लातेहार जिले के मनिका प्रखण्ड अन्तर्गत राकिकला पंचायत के लंका गांव के विशिष्ट जनजाति परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित किये जाने संबंधी शिकायत पत्र आयोग को प्राप्त हुई थी, जिसमें इन परिवारों को विगत कई माह से खाद्यान्न से वंचित किये जाने का उल्लेख किया गया था।

उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक-816 दिनांक-21.10.2022 द्वारा मामले की जाँच किये जाने तथा जाँच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, लातेहार से अनुरोध किया गया। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-420 दिनांक-29.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक-1368 दिनांक-28.10.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि जाँच के क्रम में यह पाया गया कि **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2022 का राशन आवंटन के अभाव में उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्तमान में उक्त योजना का खाद्यान्न गोदाम में प्राप्त हो गया है, जो यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डाकिया योजना अन्तर्गत 35 किलोग्राम प्रति परिवार अन्त्योदय कार्डधारी को सिलबंद पैकेट में माह सितम्बर 2022 तक उपलब्ध करा दिया गया है।**

प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि लाभुक परिवारों को माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2022 का PMGKAY मद का अनाज माह अक्टूबर में दिनांक-28.10.2022 तक नहीं उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार NFSA मद का माह अक्टूबर का खाद्यान्न अक्टूबर माह के लगभग अन्त तक PVTG लाभुक परिवारों को नहीं मिल पाया है।


उल्लेखनीय है कि परिवादीगण विशिष्ट जनजातीय परिवार हैं, जो अत्यन्त गरीब की श्रेणी में आते हैं। ऐसे परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर राशन उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा इन्हें डाकिया योजना अन्तर्गत सिलबन्द पैकेट में प्रति परिवार प्रति माह घर पहुँचाकर 35 कि0ग्रा0 अनाज मुफ्त देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे विशिष्ट परिवारों को भी ससमय अनाज उपलब्ध न कराया जाना एवं इसकी शिकायत करने करने के बाद भी पूर्ण अनाज उपलब्ध नहीं कराना असंवेदनशीलता का परिचायक है। जब ऐसे विशिष्ट लाभुक परिवारों को

मिलने वाले खाद्यान्न में इतनी अनियमितता है, तो अन्य श्रेणी के लाभुकों की क्या स्थिति होगी, विचारणीय है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मामले को दृष्टिगत रखते हुए जनवितरण प्रणाली अन्तर्गत ससमय सभी लाभुकों को अनाज उपलब्ध कराने हेतु सभी संबंधित को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ससमय लाभुकों को प्राप्त हो सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

93



1152
Date
01/11/22

put up
2/11/22

कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

(गोपनीय शाखा)

पत्रांक.....420/ गो0

प्रेषक,

उपायुक्त, लातेहार।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झारखंड राज्य खाद्य आयोग,
रांची।

लातेहार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2022

श्री सिंगो
02/11/22

935
02/11/22

विषय :- जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 816 दिनांक 21.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा शिकायतकर्ता श्री लाल बिहारी सिंह, नरेगा सहायता केन्द्र, मनिका का शिकायत पत्र संलग्न कर मनिका प्रखण्ड के राकीकला पंचायत अन्तर्गत लंका गांव के विभिन्न आदिम जनजाति परिवारों को कई माह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मिलने वाले खाद्यान्न से वंचित किये जाने संबंधी शिकायतों का जांच कर जांच प्रतिवेदन की मांग की गई थी।

उक्त के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1368, दिनांक 28.10.2022 के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसे संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

उपायुक्त, लातेहार।



92

समाहरणालय, लातेहार

(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक-...1368.../आ0

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लातेहार।

सेवा में,

उपायुक्त,
लातेहार।

लातेहार दिनांक-28/10/2022

विषय:-

जॉच कर जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

गोपनीय शाखा का पत्रांक-419, दिनांक-22.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि मनिका प्रखण्ड के राकीकला पंचायत अन्तर्गत लंका गाँव के विभिन्न आदिम जनजाति परिवारों का कई माह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत मिलने वाले खाद्यान्न से वंचित किये जाने संबंधी शिकायतों की जॉच इस कार्यालय पत्रांक-1361, दिनांक-22.10.2022 कि आलोक में जॉच की गई। जॉच के क्रम में प्रखण्ड स्तर के कर्मी श्री घुरा राम, प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक, श्री विकास कुमार, जन सेवक, एवं पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया के द्वारा विस्तृत जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

जॉच के क्रम में पाया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2022 का राशन आवंटन के अभाव में उपलब्ध नहीं कराया गया है। वर्तमान में PMGKAY का खाद्यान्न गोदाम में प्राप्त हो गया है। जो यथाशिघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डाकिया योजना अन्तर्गत 35 किलोग्राम प्रति परिवार अन्त्योदय कार्डधारी को सिलबंद पैकेट में माह सितम्बर 2022 तक उपलब्ध करा दिया गया है।

जॉच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

28/10/22
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लातेहार।

आज दिनांक 23.10.2022 दिन रविवार को ग्राम पंचायत राँकी कला के ग्राम लंका में आदिम जनजाति परिवार (PTJ) का राशन वितरण संबंधित जांच प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक सुरा राम एवं जनसेवक विकास कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया जिसमें निम्नलिखित बिंदु प्रकाश में आया।

1) कार्डधारी बिस्मरिया देवी पति महावीर परदिना ग्राम लंका कार्ड संख्या - 202002791564 ने पुद्गाड़ के क्रम में भए बताया कि मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMUKAY) के अंतर्गत तेल वित्तीय प्रविष्टि के हिसाब से माह फरवरी 2022, मार्च 2022, अप्रैल 2022, मई 2022, जून 2022, जुलाई 2022 एवं अगस्त 2022 तक का राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंशोदय भावत पेंसेट (35kg) फरवरी 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

— नारा देवी (बहू)

2) कार्डधारी बुधनी देवी पति मोगल परदिना ग्राम लंका कार्ड संख्या 202002791577 ने पुद्गाड़ के क्रम में भए बताया कि मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMUKAY) के अंतर्गत तेल वित्तीय प्रविष्टि के हिसाब से माह फरवरी 2022, मार्च 2022, अप्रैल 2022, मई 2022, जून 2022, जुलाई 2022 एवं अगस्त 2022 तक का राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंशोदय भावत पेंसेट (35kg) फरवरी 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

बुधनी देवी (बहू)

3) कार्डधारी फजल परदिना पति धनेवर परदिना ग्राम लंका आधार संख्या - 288243899028, कार्ड सं - 202002791562 ने पुद्गाड़ के क्रम में भए बताया कि मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMUKAY) के अंतर्गत तेल वित्तीय प्रविष्टि के हिसाब से माह फरवरी 2022, मार्च 2022, अप्रैल 2022, मई 2022, जून 2022, जुलाई 2022 एवं अगस्त 2022 तक राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंशोदय भावत पेंसेट (35kg) फरवरी 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

फजल परदिना

23.10.2022

S. F. C. मनिका (लोतेहार)

Wishu Kumar 27.10.22

श्रीमा देवी मुखिया ग्राम पंचायत- राँकी कला मनिका, लोतेहार

4) कार्डधारी लखन पट्टिना पिगा स्व. सुधा पट्टिना ग्राहक संख्या 202002791586 ने पुद्गाद के क्रम में यह बताया कि मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) अंतर्गत पीसी बिलोग्राम प्रतिमाह के हिसाब से माह मई 2022 से अगस्त 2022 तक का राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंशोदय चावल पैकेट (35kg) अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

— लखन पट्टिना

5) कार्डधारी मंगरी कुवट परि खेलावन पट्टिना ग्राहक संख्या 202002791567 ने पुद्गाद के क्रम में यह बताया कि मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) अंतर्गत पीसी बिलोग्राम प्रतिमाह के हिसाब से माह मई 2022 से अगस्त 2022 तक राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंशोदय चावल पैकेट (35kg) मई 2022 से सितंबर 2022 तक का प्राप्त हो चुका है।

मंगरी देवी (सहपत्नी)

6) कार्डधारी बनवापी पट्टिना पिगा लक्ष्मणलाल पट्टिना ग्राहक संख्या 202002791568 ने पुद्गाद के क्रम में यह बताया कि मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) वीस बिलोग्राम प्रतिमाह के हिसाब से मई 2022 से अगस्त 2022 तक राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंशोदय चावल पैकेट (35kg) मई 2022 से सितंबर 2022 तक का प्राप्त हो चुका है।

वत्सीन मनालिका देवी (wife)

7) कार्डधारी मनिगा देवी परि धुवन पट्टिना ग्राहक संख्या 202002791599 ने पुद्गाद के क्रम में यह बताया कि मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) अंतर्गत पीसी बिलोग्राम के हिसाब से मई 2022 से अगस्त 2022 तक राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंशोदय चावल पैकेट (35kg) माह मई 2022 से सितंबर 2022 तक का प्राप्त हो चुका है।

23.10.2022

सो गो प्रबंधक
S. F. C. मनिगा
(लातेहार)

शीला देवी मुखिया
गाम पंचायत- रौंकी कल।
मनिगा, लातेहार

Wishful Kumar
23.10.22

8) कार्डधारी सोहनिया देवी परि प्रदीप परदिना ग्राम - बंका
 सं - 202006873694 ने पुद्गाइ के क्रम में यह बताया कि मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) के अंतर्गत इस विभाग
 प्रतिमाह के हिसाब से माह जून 2022 से अगस्त 2022 तक का राशन
 प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंत्योदय पाकेट (35kg) पेंडेंट माह
 जून 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

सोहनिया देवी
(ल.स.स.)

9) कार्डधारी पुनिया देवी परि संजय परदिना ग्राम बंका कार्ड
 सं 202007517215 ने पुद्गाइ के क्रम में यह बताया कि मुझे
 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) के अंतर्गत पांच
 (5) किलोग्राम के हिसाब से माह जून 2022 से अगस्त 2022 तक
 का राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंत्योदय पाकेट पेंडेंट
 (35kg) माह जून 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

परि -> Sanjay परदिना

10) कार्डधारी प्रमिला देवी परि बिनोया परदिना ग्राम बंका कार्ड
 सं - 202002791555 ने पुद्गाइ के क्रम में यह बताया कि मुझे
 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) के अंतर्गत
 तीन किलोग्राम के हिसाब से माह जून 2022 से अगस्त 2022 तक
 राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंत्योदय पाकेट पेंडेंट (35kg)
 माह जून 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

पुनिया देवी
(ल.स.स.)

11) कार्डधारी मानमती देवी परि शबेरा परदिना ग्राम बंका कार्ड
 सं 202002791608 ने पुद्गाइ के क्रम में यह बताया कि मुझे
 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) के अंतर्गत
 पेंगलीस किलोग्राम के हिसाब से माह जून 2022 से अगस्त 2022
 तक राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंत्योदय पाकेट
 पेंडेंट (35kg) माह जून 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो
 चुका है।

मानमती देवी
(ल.स.स.)

23.10.2022
 श्रीमती देवी मुखिया
 ग्राम पंचायत - रौंकी क.
 मनिका, लातेहार

Wineeth Kumar
 23.10.22

S. F. C. मनिका
 (लातेहार)

12) कार्डधारी सुखी देवी परि कन्हें परदिना ग्राम लंका कार्ड नं. 202002791563 ने पुद्गल के क्रम में यह वज्रा की मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) अंतर्गत चालीस किग्रा के हिसाब से माह जुन 2022 से अगस्त 2022 तक का राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंतोदय चाल (35kg) पैकेट माह जुन 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

मुजीब
साह

13) कार्ड धारी लालो देवी परि बुडेश परदिना ग्राम लंका कार्ड नं. 202002791561 ने पुद्गल के क्रम में यह वज्रा की मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) अंतर्गत पन्द्रह किग्रा के हिसाब से माह जुन 2022 से अगस्त 2022 तक का राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंतोदय चाल (35kg) पैकेट माह जुन 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

मुजीब
साह

14) कार्डधारी सविता देवी परि सुडेश परदिना ग्राम लंका कार्ड नं. - 202006873671 ने पुद्गल के क्रम में यह वज्रा की मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) अंतर्गत दस किग्रा प्रतिमाह के हिसाब से माह जुलाई 2022 से अगस्त 2022 तक का राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंतोदय चाल (35kg) पैकेट माह जुलाई 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

मुजीब
साह

15) कार्डधारी कववी देवी परि महेन्द्र परदिना ग्राम लंका कार्ड नं. 202002791565 ने पुद्गल के क्रम में यह वज्रा की मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) अंतर्गत पचीस किग्रा प्रतिमाह के हिसाब से माह जुलाई 2022 से अगस्त 2022 तक का राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंतोदय चाल (35kg) पैकेट माह जुलाई 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

Wishu Kumar
23.10.22

23.10.2022
सो गो प्रबंधक
S. F. C. मनिका
(लोतेहार)

श्रीकांत
मुखिया
ग्राम पंचायत - रौंकी कला
मनिका, लोतेहार
मुजीब देवी
(लंका)

1. (16) कार्डधारी अनेका देवी परि पत्रिका परदिना ग्राम - लंका
 कार्ड नं 202002791577 ने पुद्गाद के क्रम में यह बजाया कि
 मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) के अंतर्गत
 सीस किनोग्राम के हिसाब से माह जुलाई 2022 से अगस्त 2022
 तक का राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंतोदय चावल
 (35kg) पेंचैट माह जुलाई 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

(17) कार्डधारी सुनिता देवी परि पत्रिका परदिना ग्राम - लंका
 कार्ड नं 202002791584 ने पुद्गाद के क्रम में यह बजाया कि
 मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) के अंतर्गत
 सीस किनोग्राम के हिसाब से माह जुलाई 2022 से
 अगस्त 2022 तक का राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा
 अंतोदय चावल (35kg) पेंचैट माह जुलाई 2022 से सितम्बर 2022 तक
 प्राप्त हो चुका है।

(18) कार्डधारी राजमलिका देवी परि पत्रिका परदिना ग्राम - लंका
 कार्ड नं 202006873630 ने पुद्गाद के क्रम में यह बजाया कि
 मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) के अंतर्गत
 सीस किनोग्राम के हिसाब से माह जुलाई 2022 से अगस्त 2022 तक
 का राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंतोदय चावल (35kg)
 पेंचैट माह जुलाई 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।


(19) कार्डधारी कुन्नी देवी परि पत्रिका परदिना ग्राम - लंका
 कार्ड नं 202002791560 ने पुद्गाद के क्रम में यह बजाया कि मुझे
 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) के अंतर्गत
 सीस किनोग्राम के हिसाब से माह अगस्त 2022 का राशन
 प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंतोदय चावल (35kg) पेंचैट माह
 अगस्त 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

Wishu Kumar
 23.10.22

23.10.2022
 सौ गो प्रबंधक
 S. F. C. मनिका
 (लातेहार)

श्रीमती
 मुखिया
 ग्राम पंचायत - रौंकी कला
 मनिका, लातेहार
 कुन्नी देवी
 (लंका)

(20) कार्डधारी शोभा देवी परि मनोहर परदिना ग्राम लंका कार्ड संख्या 202002791576 ने पुद्गल के क्रम में यह बताया कि मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) अंतर्गत पञ्जीष कियोग्राम प्रतिगाह के हिसाब से अगस्त 2022 का राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंत्योदम पावक (35kg) पैकेट माह अगस्त 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

 शोभा देवी (सहस्र)


(21) कार्डधारी गीता देवी परि मोहन परदिना ग्राम लंका कार्ड संख्या 201606873909 ने पुद्गल के क्रम में यह बताया कि मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) अंतर्गत पन्ध्र kg प्रतिगाह के हिसाब से माह अगस्त 2022 का राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंत्योदम पावक (35kg) पैकेट माह अगस्त 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

- सहेल सहीवा

(22) कार्डधारी बृष्णी देवी परि सुखदेव परदिना ग्राम लंका कार्ड संख्या 202002791581 ने पुद्गल के क्रम में यह बताया कि मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) अंतर्गत माह अगस्त 2022 का राशन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंत्योदम पावक (35kg) पैकेट माह अगस्त 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।

 सुखदेव देवी (सहस्र)

(23) कार्डधारी रिष्णु देवी परि रवींदर परदिना ग्राम लंका कार्ड संख्या 202002791578 ने पुद्गल के क्रम में यह बताया कि मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMKAY) अंतर्गत माह अगस्त 2022 का राशन तीस कियोग्राम प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंत्योदम पावक (35kg) पैकेट माह अगस्त 2022 से सितम्बर 2022 तक प्राप्त हो चुका है।


 रिष्णु देवी (सहस्र)


23.10.2022

सो. गो प्रसिध
S. F. C. मनिा
(नातेहार)

Wishu Kumar
23.10.22

Scanned with CamScanner






nScanner

Scanned with CamScanner






Scanned with CamScanner

18

82




Date	Time	Location	Temp	Humidity	Wind	Pressure	Notes
1/11/66							
72/0/11	08	E					
72/16/91	09	1	57	50			
72/11/11	10	11	58	51			
72/11/11	11	12	59	52			
72/11/11	12	13	59	52			
72/11/11	13	14	59	52			
72/11/11	14	15	59	52			
72/11/11	15	16	59	52			
72/11/11	16	17	59	52			
72/11/11	17	18	59	52			
72/11/11	18	19	59	52			
72/11/11	19	20	59	52			
72/11/11	20	21	59	52			
72/11/11	21	22	59	52			
72/11/11	22	23	59	52			
72/11/11	23	24	59	52			
72/11/11	24	25	59	52			
72/11/11	25	26	59	52			
72/11/11	26	27	59	52			
72/11/11	27	28	59	52			
72/11/11	28	29	59	52			
72/11/11	29	30	59	52			
72/11/11	30	31	59	52			

Scanned with CamScanner

3


2



Scanned with CamScanner

no	date	by	for	to	dept	amt	no	particulars
1	1/5	1/5	1/5	1/5				1/5
2	1/11	1/11	1/11	1/11				1/11
3	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
4	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
5	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
6	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
7	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
8	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
9	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
10	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
11	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
12	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
13	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
14	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
15	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
16	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
17	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
18	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
19	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15
20	1/15	1/15	1/15	1/15				1/15


Scanned with CamScanner



nScanner

②

Scanned with CamScanner




DATE	TIME	TYPE	NO.	AMOUNT	REMARKS	DATE	AMOUNT	REMARKS	DATE	AMOUNT	REMARKS
11/15/15											
11/16/15											
11/17/15											
11/18/15											
11/19/15											
11/20/15											
11/21/15											
11/22/15											
11/23/15											
11/24/15											
11/25/15											
11/26/15											
11/27/15											
11/28/15											
11/29/15											
11/30/15											


Scanned with CamScanner

DATE	TIME	LOCATION	DESCRIPTION	INITIALS	REMARKS
11/17/2022	6:00
11/17/2022	6:00
11/18/22	2:31


Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



11/10/21	09	D		52			
11/11/21	09			52			
11/12/21	09			52	52		
11/13/21	09			52	52		
11/14/21	09			52	52		
11/15/21	09			52	52		
11/16/21	09			52	52		
11/17/21	09			52	52		
11/18/21	09			52	52		
11/19/21	09			52	52		
11/20/21	09			52	52		
11/21/21	09			52	52		


Scanned with CamScanner

512




Scanned with CamScanner

5/11



Scanned with CamScanner

27




Sl. No.	Name	Age	Sex	Religion	Marital Status	Education	Occupation	Income	Assets	Liabilities
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


क्र. सं.	नाम	व. सं.	व. सं.	व. सं.	व. सं.	व. सं.	व. सं.	व. सं.	व. सं.
1	...	25	1	1
2	...	20	1	1
3	...	25	1	1
4	...	25	1	1
5	1	1
6	1	1
7	1	1
8	1	1
9	1	1
10	1	1
11	1	1
12	1	1
13	1	1
14	1	1
15	1	1
16	1	1
17	1	1
18	1	1
19	1	1
20	1	1

Scanned with CamScanner

Sl. No.	Name	Age	Sex	Religion	Address	Signature	Date
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

18-22-21

DATE	TIME	BY	NO.	TYPE	REMARKS	INITIALS	SIGNATURE
18-22-21	08:00
18-22-21	08:15
18-22-21	08:30
18-22-21	08:45
18-22-21	09:00
18-22-21	09:15
18-22-21	09:30
18-22-21	09:45
18-22-21	10:00
18-22-21	10:15
18-22-21	10:30
18-22-21	10:45
18-22-21	11:00
18-22-21	11:15
18-22-21	11:30
18-22-21	11:45
18-22-21	12:00
18-22-21	12:15
18-22-21	12:30
18-22-21	12:45
18-22-21	13:00
18-22-21	13:15
18-22-21	13:30
18-22-21	13:45
18-22-21	14:00
18-22-21	14:15
18-22-21	14:30
18-22-21	14:45
18-22-21	15:00
18-22-21	15:15
18-22-21	15:30
18-22-21	15:45
18-22-21	16:00
18-22-21	16:15
18-22-21	16:30
18-22-21	16:45
18-22-21	17:00
18-22-21	17:15
18-22-21	17:30
18-22-21	17:45
18-22-21	18:00
18-22-21	18:15
18-22-21	18:30
18-22-21	18:45
18-22-21	19:00
18-22-21	19:15
18-22-21	19:30
18-22-21	19:45
18-22-21	20:00
18-22-21	20:15
18-22-21	20:30
18-22-21	20:45
18-22-21	21:00
18-22-21	21:15
18-22-21	21:30
18-22-21	21:45
18-22-21	22:00
18-22-21	22:15
18-22-21	22:30
18-22-21	22:45
18-22-21	23:00
18-22-21	23:15
18-22-21	23:30
18-22-21	23:45
18-22-21	00:00

Scanned with CamScanner

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

रा0खा0आ0-(शिकायत)-लातेहार/PDS- 17/2022 - 816

पत्रांक:-
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

उपायुक्त,
लातेहार।

विषय:-

लातेहार जिलेकेमनिका प्रखण्ड अंतर्गत राकीकला पंचायत के लंका गाँव के आदिम जनजाती परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित किया जाने के संबंध में।

राँची, दिनांक:-21.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि शिकायतकर्ता श्री लाल बिहारी सिंह, नरेगा सहायता केन्द्र, मनिका का शिकायत पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें मनिका प्रखण्ड के राकीकला पंचायत अंतर्गत लंका गाँव के विभिन्न आदिम जनजातिय परिवारों को कई माह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत मिलने वाले खाद्यान्न से वंचित किये जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही इन परिवारों द्वारा समर्पित शिकायत आवेदन को भी आयोग को उपलब्ध कराया गया है। यह स्थिति अत्यन्त गंभीर है।

अतः उपरोक्त प्राप्त शिकायत पत्र की प्रति सभी अनुलग्नक सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त मामले से संबंधित जांच प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में

श्रीमान, अध्यक्ष
राज्य खाद्य आयोग रांची (झारखंड)

विषय :- मनिका प्रवाड अंतर्गत रांकीकला पंचायत लंका गांव
के आदिम जनजातियों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
भूधनियम 2013 के हक से वंचित किए जाने के
संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त शंका में कहा है कि लंका गांव में आदिम
जनजाति के परिवार रहे हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
भूधनियम 2013 से अस्वाकित हैं। उनके डीयर PTL
Manika BSO हैं। जो किसी-किसी परिवारों के फरवरी 2022
से 2 परिवार, अप्रैल 2022 से 2 परिवार, मई 2022 से
3 परिवार, जून 2022 से 6 परिवार, जुलाई 2022 से 5 परिवार,
और अगस्त 2022 से 5 परिवार, कुल 23 परिवारों के
भूधनियम से वंचित रखा गया है।

कतः श्रीमान हे आपसे
है कि उपरोक्त मामले पर त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई
सुनिश्चित किया जाय। जिससे कि हकदारों को उनका कानूनी
हक मिले एवं गलतानी पर रोक लगाई जा सके।

संलग्न :- हकदारों द्वारा समर्पित शिकायत अभ्यावेदन की संक्षिप्त
विवरण एवं उनका लिखित आवेदन की प्रति।

आपका विश्वासी

(Signature)

(लाल बिहारी सिंह)

जरेगा सहायता केंद्र मनिका

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

प्रेषक,

दिनांक

विस्तारित देवी

ग्राम लंका

पिन 381005 जालंधर

प्रेषित,

जिला शिकायत नियारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहता

जिला लोहाणा (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से यचित किया गया है :-

- (1) जनवरी 2022 के आरंभ से 2022 तक का जी.ए. राशन वितरण के संबंध में
- (2) डीलर के पुराने पर वॉल्वे कि डीलर तक वॉल्वे राशन है
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अभिनियमित प्रावधानों के अन्तर्गत में नियम समत अधिकार दिखाने पर जवाब देकर इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन वॉल्वे (2) डीलर वॉल्वे (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम

कार्ड से

मोबाईल से

आधार कार्ड से

डीलर का नाम

विस्तारित देवी

जिला/पंचिका का नाम

(यदि है तो)

(यदि है तो)

(यदि है तो)

लाइसेंस नं

B.S.O. लंका

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

बुधनी देवी

ग्राम लंका

झारखण्ड मजिस्ट्रेट

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता

जिला झारखण्ड (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) फरवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक का गेहूं राशन नहीं मिला है।
डीलर से पूछने पर लौटे गेहूं नहीं आया है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) शिकायत कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर

बुधनी देवी

आवेदक का पूरा नाम

बुधनी देवी

पिता/पति का नाम

मोतीलाल पराशर

कार्ड सं

202002791577

(यदि है तो)

मोबाईल सं

(यदि है तो)

आधार कार्ड सं

(यदि है तो)

डीलर का नाम

BSD मजिस्ट्रेट

लाइसेंस सं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
 (व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

प्रेषक,

दिनांक.....

फजलत परहिषा

ग्राम लंका

पञ्चस मन्विका

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता

जिला मन्सूर (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक का राशन गैरू नहीं मिला है। साथ ही
- (2) से पूरने पर बोल राशन नहीं आया है।
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) अज्ञात कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर  फजलत परहिषा

आवेदक का पूरा नाम फजलत परहिषा

कार्ड सं. 202002791562

मोबाईल सं.

आधार कार्ड सं. 2882 4389 9028

डीलर का नाम BSO मन्विका

पिता/पति का नाम धनेश्वर परहिषा

(यदि है तो)

(यदि है तो)

(यदि है तो)

लाइसेंस सं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

लखन परहिया
ग्राम लंडा
खण्ड मण्डा

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता
जिला लखनपुर (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक का राशन जेड नहीं
दिया गया। डीलर से पूछने पर बोले नहीं आया है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) आधार कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर लखन परहिया

आवेदक का पूरा नाम लखन परहिया

कार्ड सं. 202002791586

मोबाईल सं. 9608627296

आधार कार्ड सं. 5229 4392 9518

डीलर का नाम BSO मण्डा

पिता/पति का नाम श. सुरज परहिया

(यदि है तो)

(यदि है तो)

(यदि है तो)

लाइसेंस सं.

56
30

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

मंगरी कुंवर
ग्राम लंका
प्रयाग मनिका

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता
जिला पोतधार (झारखण्ड)


योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) मई 2022 से अक्टूबर 2022 तक का गेहूँ राशन नहीं मिला है।
डीलर के पूछने पर बोल भी तक नहीं लाया है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) आधार कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर  मंगरी कुंवर
 आवेदक का पूरा नाम मंगरी कुंवर
 कार्ड सं. 202002791567
 मोबाईल सं.
 आधार कार्ड सं. 8217 5069 0831
 डीलर का नाम BSO मनिका

पिता/पति का नाम रवि भावन पराशर
 (यदि है तो)
 (यदि है तो)
 (यदि है तो)
 लाइसेंस सं.

55

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)

जन वितरण प्रणाली योजना

प्रेषक,

दिनांक

कनवली परदिशा
ग्राम तालुका
उदुपुडा जमिना

प्रेषित,

जिला शिकायत नियारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता
जिला कोरपुटा (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) आई 2022 से डाक्टरी 2022 तक का रेशन जो है वही रेशन जमा होना व पूरा व सारे आई 2022 में
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिनाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) रेशन कार्ड (2) डाक्टरी कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर  कनवली परदिशा

आवेदक का पूरा नाम कनवली परदिशा पिता/पति का नाम सुभाष चंद्र

कार्ड से 202002791568 (यदि है तो)

मोबाईल से 6200505987 (यदि है तो)

आधार कार्ड से 635182905387 (यदि है तो)

हीनर का नाम सुभाष चंद्र साहू लाइसेंस से

BSC जमिना

34

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
 (व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

मनिता देवी
ग्राम नं०
झारखण्ड मनिषा

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता
 जिला लातेहार (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) मई 2022 से अक्टूबर 2022 तक का जौह राशन नहीं मिला है। डीलर से पूछने पर वैसे डभी जौह नहीं लाया है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) अधार कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर मनिता देवी

आवेदक का पूरा नाम मनिता देवी

कार्ड सं. 202002791599

मोबाईल सं.

आधार कार्ड सं. 3968 9027 6305

डीलर का नाम B.S.D मनिषा

पिता/पति का नाम धुस्त परहिया

(यदि है तो)

(यदि है तो)

(यदि है तो)

लाइसेंस सं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

प्रेषक,

दिनांक.....

सोहगिला देवी
ग्राम लंका
प्रखण्ड मजिडा

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता
जिला बलेश्वर (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) जून से 2022 से अक्टूबर 2022 तक का जौह राशन नहीं मिला है। डीलर से पूछने पर बोले जौह नहीं आता है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) अधार कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर  सोहगिला

आवेदक का पूरा नाम सोहगिला देवी

कार्ड सं. 2022006373694

मोबाईल सं.

आधार कार्ड सं. 7150 4153 4256

डीलर का नाम RSO मजिडा

पिता/पति का नाम प्रदीप पटहिया

(यदि है तो)

(यदि है तो)

(यदि है तो)

लाइसेंस सं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

पुनिता देवी
ग्राम लंबडा
झारखण्ड मजिस्ट्रा

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता
जिला लातेहार (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) जून 2022 से अक्टूबर 2022 तक का गेहूँ राशन नहीं मिला है। शीन्ट ले पूंछने पर बोले गेहूँ नहीं आया है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) उनघार कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर  पुनिता देवी

आवेदक का पूरा नाम पुनिता देवी
कार्ड सं. 202007517215

पिता/पति का नाम रोजय परसिया
(यदि है तो)

मोबाईल सं.
(यदि है तो)

आधार कार्ड सं. 59 64 0841 0116
(यदि है तो)

डीलर का नाम RSD मजिस्ट्रा

नाइसेस सं.

51

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

प्रमणिमा देवी
ग्राम लंबा
पञ्चम मण्डल

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता
जिला लखनौ (झारखण्ड)


योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) जून 2022 से अक्टूबर 2022 तक का जेण्ड राशन नहीं मिला है। डीलर से पूछने पर बोलने जेण्ड नहीं आया है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) डिपॉजिट कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर  प्रमणिमा देवी

आवेदक का पूरा नाम प्रमणिमा देवी पिता/पति का नाम बिनेश्वर परहिया

कार्ड सं. 202002991555 (यदि है तो)

मोबाईल सं. (यदि है तो)

आधार कार्ड सं. 4777 2088 3627 (यदि है तो)

डीलर का नाम BSO मण्डल लाइसेंस सं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

मानमती देवी
श्रीम लक्ष्मी
प्रखण्ड मण्डला

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता
जिला मिर्जापुर (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) जून 2022 से अक्टूबर 2022 तक का राशन जेंडू नहीं दिया गया। डीलर से पूछने पर बोले नहीं आया है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) संघार कार्ड (3).....

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर



मानमती देवी

आवेदक का पूरा नाम

मानमती देवी

पिता/पति का नाम

रमलेश परहिया

कार्ड सं

202002701608

(यदि है तो)

मोबाईल सं

(यदि है तो)

आधार कार्ड सं

7173 9427 6413

(यदि है तो)

डीलर का नाम

BSO मण्डला

लाइसेंस सं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक _____

प्रेषक,

सुरजी देवी
ग्राम लंका
प्रखण्ड जिनिका

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता
जिला _____ (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) जून 2022 से अक्टूबर 2022 तक का गेहूँ खरीद की योजना में
डीलर से पूछने पर ताल डाली जा रही है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) प्रमाण कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर  सुरजी देवी

आवेदक का पूरा नाम सुरजी देवी

कार्ड से 202002791565

मोबाइल से.

आधार कार्ड से 3610 7219 9154

डीलर का नाम BSD जिनिका

पिता/पति का नाम सुरजी देवी

(यदि है तो)

(यदि है तो)

(यदि है तो)

नाहसेस से.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक _____

प्रेषक,

वासो देवी

ग्राम लंका

पंचसडा तालिका

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता

जिला लंका (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) जून 2022 से दिसंबर 2022 तक का गेहूं उन्नत नसी निमा है।
- (2) डीएम के बात करने पर वोल डार्भा जेहु नसी उन्नत है।
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन वोट (2) इतरात फाइल (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर वासो देवी

आवेदक का पूरा नाम वासो देवी

कार्ड से 202002791561

मोबाईल से

आधार कार्ड से 4309 9359 9903

हीलर का नाम BSO तालिका

पिता/पति का नाम

(यदि है तो)

(यदि है तो)

(यदि है तो)

लाइसेंस सं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

सविता देवी

ग्राम लंबा

प्रखण्ड भगिडा

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता

जिला बलिया (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

(1) जुलाई 2022 से अक्टूबर 2022 तक डा गैर राशन नहीं मिला
है डीलर से पूछने पर बोले गैर नहीं आया है।

(2)

(3)


(4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) अधार कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर



सविता देवी

आवेदक का पूरा नाम

सविता देवी

पिता/पति का नाम

प्रमोद परदिचा
सुदेश

कार्ड सं. 202006873671

(यदि है तो)

मोबाईल सं.

(यदि है तो)

आधार कार्ड सं. 254495322704

(यदि है तो)

डीलर का नाम RSO भगिडा

लाइसेंस सं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

कवली देवी

ग्राम लंका

पंचवट मन्जिका

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता

जिला मन्जिका (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) जुलाई 2022 से अक्टूबर 2022 तक का राशन गेहूं नहीं मिला है।
डीलर से पूछने पर वोल की राशन नसी ठापा है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) आधार कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर  कवली देवी

आवेदक का पूरा नाम कवली देवी

कार्ड सं. 202002791565

मोबाईल सं.

आधार कार्ड सं. 6810 2895 7360

डीलर का नाम BSO मन्जिका

पिता/पति का नाम महेंद्र पार्षा

(यदि है तो)

(यदि है तो)

(यदि है तो)

लाइसेंस सं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

अनेजा देवी
ग्राम लंडा
पञ्चपुर मण्डल

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता
जिला मन्सूर (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) जुलाई 2022 से अक्टूबर 2022 तक का गेहूँ राशन नहीं मिला है। डीलर से पूछने पर बोले गेहूँ नहीं आया है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) झारखण्ड कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर



अनेजा देवी

आवेदक का पूरा नाम

अनेजा देवी

पिता/पति का नाम

चलितर पराहिया

कार्ड सं. 202002791579

(यदि है तो)

मोबाईल सं.

(यदि है तो)

आधार कार्ड सं. 5328 1937 9645

(यदि है तो)

डीलर का नाम BSD मण्डल

लाइसेंस सं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

सुगिया देवी
ग्राम लंछा
झारखण्ड

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता
जिला लातेहार (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) जुलाई 2022 से अक्टूबर 2022 तक का गेहूँ राशन नहीं मिला है। डीलर से पूछने पर बोले डमी तक नहीं आया है।
- (2)
- (3)
- (4)


अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) राधार कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर सुगिया देवी
 आवेदक का पूरा नाम सुगिया देवी
 कार्ड सं. 202002731534
 मोबाईल सं.
 आधार कार्ड सं. 6182 7472 0358
 डीलर का नाम RSD मनिषा

पिता/पति का नाम तातधारी परहिया
 (यदि है तो)
 (यदि है तो)
 (यदि है तो)
 लाइसेंस सं.



43
12

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

प्रेषक,

दिनांक.....

रजमतिष्ठा देवी

ग्राम पंका

पट्टाण्ड जिला

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता

जिला पट्टाण्ड (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

(1) जुलाई 2022 से अक्टूबर 2022 तक का गेहूं राशन नहीं मिला है। डीलर से पूछने से बोझ भी नहीं आया है।

(2)

(3)


(4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) झण्डा कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर



रजमतिष्ठा देवी

आवेदक का पूरा नाम

रजमतिष्ठा देवी

पिता/पति का नाम

लक्ष्मण पराईया

कार्ड सं. 202006873630

(यदि है तो)

मोबाईल सं.

(यदि है तो)

आधार कार्ड सं. 4351 4011 1526

(यदि है तो)

डीलर का नाम

BSD जिला

लाइसेंस सं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

प्रेषक,

दिनांक.....

कुन्ती देवी

ग्राम लंका

प्रेषित,

भूखण्ड मन्डिका

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता

जिला भोपाळ (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) अगस्त 2022 से अक्टूबर 2022 तक का जैतू राशन नदी छिटा है। डीलर से पूछने पर वैसे अभी नदी छिटा है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) अधारा कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर



कुन्ती देवी

आवेदक का पूरा नाम

कुन्ती देवी

पिता/पति का नाम

हर प्रदिया

कार्ड सं. 202002791560

(यदि है तो)

मोबाईल सं.

(यदि है तो)

आधार कार्ड सं. 247786418100

(यदि है तो)

डीलर का नाम BSO मन्डिका

लाइसेंस सं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

रतेश्वरी देवी
ग्राम लंका
प्रखण्ड मनिका

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता
जिला..... (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) अगस्त 2022 के अक्टूबर 2022 तक का गेहूं राशन नहीं मिला है। बीयर का पूरन के बोल गेहूं नहीं मिला है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कट (2) आधार कट (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर  रतेश्वरी देवी

आवेदक का पूरा नाम रतेश्वरी देवी

कार्ड सं. 202002791576

मोबाईल सं.

आधार कार्ड सं. 5049 9287 1609

डीलर का नाम BSO मनिका

पिता/पति का नाम मनोहर परहित

(यदि है तो)

(यदि है तो)

(यदि है तो)

लाइसेंस सं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

जीता देवी
ग्राम तांका
प्रशास - मनिक्का

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता
जिला मनिक्का (झारखण्ड)


योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) अगस्त 2022 से अक्टूबर 2022 तक का जेडू राशन नत्रे किया है।
दोला से घुड़ने से बोल गया नहीं आया है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) अगार कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर  जीता देवी
 आवेदक का पूरा नाम जीता देवी
 कार्ड सं. 202006873909
 मोबाईल सं.
 आधार कार्ड सं. 389163522814
 डीलर का नाम 850 मनिक्का

पिता/पति का नाम गोहन पराष्टि
 (यदि है तो)
 (यदि है तो)
 (यदि है तो)
 लाइसेंस सं.

13
39

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक

पत्रक

बृहती देवी
आम लोच
प्रखण्ड प्रमिसा

पेशित

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष महोदय

जिला कार्यालय (झारखण्ड)

योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) अगस्त 2022 से अक्टूबर 2022 तक का अनाम जोर नहीं दिया गया। डीलर ने सूझने पर जोर नहीं दिया है।
- (2)
- (3)
- (4)

अतः आवेदने आवेदक है कि अधिनियमित प्रावधानों के अन्तर्गत में नियम बंधन अधिकार दिनांक आवेदक इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर पर्याप्त कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :- (1) जाहान रानी (2) राजेश कुमार (3)

प्रतिनिधि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर	बृहती देवी	जिला पदाधिकारी का नाम	शुभम कुमार
आवेदक का पूरा नाम	बृहती देवी	(पदि है तो)	
कार्ड नं.	2022/2023/155	(पदि है तो)	
मोबाईल नं.		(पदि है तो)	
आपका कार्ड नं.	5713 0885 005	(पदि है तो)	
डीलर का नाम	J.S.O. प्रमिसा	संपर्क नं.	

(12) (38)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत आवेदन पत्र
(व्यक्तिगत शिकायत आवेदन)
जन वितरण प्रणाली योजना

दिनांक.....

प्रेषक,

रिजू देवी
ग्राम लंछा
प्रखण्ड मन्दिआ

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता
जिला लतेहार (झारखण्ड)


योजना के संबंध में निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है :-

- (1) अगस्त 2022 से अक्टूबर 2022 तक का जौह राशन नहीं मिला है। डीलर से पूछने पर बोले अभी तक नहीं आया है।
- (2) आया है।
- (3)
- (4)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम संगत अधिकार दिलाया जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद ।

संलग्न दस्तावेज :- (1) राशन कार्ड (2) अधार कार्ड (3)

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार।

आवेदक का हस्ताक्षर  रिजू देवी
आवेदक का पूरा नाम रिजू देवी
कार्ड सं. 202002791578
मोबाईल सं.
आधार कार्ड सं. 9379 1991 9689
डीलर का नाम RSO मन्दिआ

पिता/पति का नाम स्व. अरीदन परहिया
(यदि है तो)
(यदि है तो)
(यदि है तो)
लाइसेंस सं.